

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी 2021 — फाल्गुन 8, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-18/2021/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा नगर पालिक निगम रिसाली, जिला-दुर्ग हेतु निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

क्रं.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रं.	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति	32	नेवई भाठा
		33	नेवई बस्ती पूर्व
		34	नेवई बस्ती पश्चिम
		37	जोरातराई
		39	एन.एस.पी.सी.एल. पुरैना
2	अनुसूचित जाति (महिला)	38	स्टोर पारा पुरैना
		40	पुरैना बस्ती
3	अनुसूचित जनजाति	7	रिसाली सेक्टर पूर्व
		8	रिसाली सेक्टर पश्चिम

4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	10	दशहरा मैदान रिसाली सेक्टर
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	मरोदा सेक्टर पश्चिम
		19	विजय चौक स्टेशन मरोदा
		22	मैत्री कुंज रिसाली
		25	आशीष नगर पश्चिम रिसाली
		27	मैत्री नगर रिसाली
		35	डुंडेरा पश्चिम
		36	डुंडेरा पूर्व
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	4	रूआबांधा पूर्व
		5	एच.एस.सी.एल.कालोनी रूआबांधा सेक्टर
		3	रूआबांधा दक्षिण
7	अनारक्षित (महिला)	1	तालपुरी
		6	रूआबांधा सेक्टर
		9	डी.पी.एस. रिसाली सेक्टर
		14	मरोदा कैम्प
		17	शिव पारा स्टेशन मरोदा
		18	एच.एस.सी.एल.कालोनी स्टेशन मरोदा
		21	सूर्या नगर स्टेशन मरोदा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 25 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 1-18/2021/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-18/2021/18 दिनांक 25-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 25th February 2021

NOTIFICATION

No. F 1-18/2021/18. — In exercise of the powers conferred by rule 7 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) the state Government hereby notify the list of reserve wards of Municipal Corporation Risali, Distt- Durg as per the schedule given below

SCHEDULE

S. No.	Category (For Which Reserved)	Ward No.	Name of Wards
1	Scheduled Caste	32	NEVAI BHATA
		33	NEVAI BASTI EAST
		34	NEVAI BASTI WEST
		37	JORATARAI
		39	N.S.P.C.L. PURAINA
2	Scheduled Caste (Female)	38	STORE PARA PURAINA
		40	PURAINA BASTI
3	Scheduled Tribes	7	RISALI SECTOR EAST
		8	RISALI SECTOR WEST
4	Scheduled Tribes (Female)	10	DUSSEHERA GROUND RISALI SECTOR
5	Other Backward Class	12	MARODA SECTOR WEST
		19	VIJAY CHOWK STATION MARODA
		22	MAITRI KUNJ RISALI
		25	ASHISH NAGAR WEST RISALI
		27	MAITRI NAGAR RISALI
		35	DUNDERA WEST
6	Other Backward Class (Female)	36	DUNDERA EAST
		4	RUABANDHA EAST
		5	HSCL COLONY RUABANDHA SECTOR
7	Unreserved (Female)	3	RUABANDHA SOUTH
		1	TALPURI
		6	RUABANDHA SECTOR
		9	D.P.S.RISALI SECTOR
		14	MARODA CAMP
		17	SHIV PARA STATION MARODA
		18	HSCL COLONY STATION MARODA
		21	SURYA NAGAR STATION MARODA

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. R. DUBEY, Deputy Secretary.